Vol 5 Issue 3 Dec 2015

ISSN No : 2249-894X

Monthly Multidisciplinary Research Journal

Review Of Research Journal

Chief Editors

Ashok Yakkaldevi
A R Burla College, India

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Welcome to Review Of Research

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2249-894X**

Review Of Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Advisory Board

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Fabricio Moraes de AlmeidaFederal
University of Rondonia, Brazil

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Xiaohua Yang
University of San Francisco, San Francisco

Karina Xavier
Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

May Hongmei Gao
Kennesaw State University, USA

Marc Fetscherin
Rollins College, USA

Liu Chen
Beijing Foreign Studies University, China

Mabel Miao
Center for China and Globalization, China

Ruth Wolf
University Walla, Israel

Jie Hao
University of Sydney, Australia

Pei-Shan Kao Andrea
University of Essex, United Kingdom

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Ilie Pintea
Spiru Haret University, Romania

Mahdi Moharrampour
Islamic Azad University buinzahra Branch, Qazvin, Iran

Titus Pop
PhD, Partium Christian University, Oradea,
Romania

J. K. VIJAYAKUMAR
King Abdullah University of Science & Technology,Saudi Arabia.

George - Calin SERITAN
Postdoctoral Researcher
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences
Al. I. Cuza University, Iasi

REZA KAFIPOUR
Shiraz University of Medical Sciences
Shiraz, Iran

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

Nimita Khanna
Director, Isara Institute of Management, New Delhi

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur

P. Malyadri
Government Degree College, Tandur, A.P.

S. D. Sindkhedkar
PSGVP Mandal's Arts, Science and Commerce College, Shahada [M.S.]

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

C. D. Balaji
Panimalar Engineering College, Chennai

Bhavana vivek patole
PhD, Elphinstone college mumbai-32

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play (Trust),Meerut (U.P.)

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

Jayashree Patil-Dake
MBA Department of Badruka College Commerce and Arts Post Graduate Centre (BCCAPGC),Kachiguda, Hyderabad

Maj. Dr. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

AR. SARAVANAKUMARALAGAPPA UNIVERSITY, KARAIKUDI,TN

V.MAHALAKSHMI
Dean, Panimalar Engineering College

S.KANNAN
Ph.D , Annamalai University

Kanwar Dinesh Singh
Dept.English, Government Postgraduate College , solan

More.....

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.ror.isrj.org

ISSN: 2249-894X Impact Factor : 3.1402(UIF) Volume - 5 | Issue - 3 | Dec - 2015

Review Of Research

"आपदा प्रबंधन नीति"

सुरेश सिंह
असिस्टेंस प्रोफेसर , आर.बी.डी. महिला महाविद्यालय ,बिजनौर(उ.प्र.)

सुरेश सिंह

सारांश

मनुष्य ने अपने संपूर्ण सामाजिक इतिहास में प्रकृति के साथ अपने संबंधों में निरंतर परिवर्तन किया है। इनमें सबसे अधिक स्पष्ट परिवर्तन उसके क्रिया-कलाप की प्रकृति, दिशाएँ तथा पैमाने हैं। प्रारंभ में प्रकृति के प्रति मनुष्य और समाज का दृष्टिकोण विशुद्ध रूप से उपभोक्ता का था, किंतु बाद में उपभोग बढ़ने से यह भिन्न-भिन्न रूप ग्रहण करने लगा। मनुष्य का प्रकृति के साथ उपभोक्ता संबंधों के स्थान पर प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने तथा प्राकृतिक संसाधनों के व्यापक रूप से दोहन करने का दृष्टिकोण प्रतिस्थापित होने लगा। मनुष्य किसी भी विषय के व्यावहारिक पक्ष को उसकी उपभोगिता की दृष्टि से देखता है। जो भी वस्तु मनुष्य के लिए लाभकारी होती है उसका विकास और विस्तार किया जाता है और हानिकारक वस्तुओं का विनाश। मनुष्य केवल स्वार्थ की सोचता है, अन्य जीवों या निर्जीवों के विषय में शायद नहीं के बराबर। मनुष्य के इसी स्वार्थ के कारण प्रकृति का जो नाजुक संतुलन बना हुआ है वह भिन्न-भिन्न हो रहा है।

पारिस्थितिकी तंत्र की कड़ियाँ टूट रही हैं। इससे पृथ्वी में संकट पैदा हो गया है। कालांतर में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के साथ-साथ औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा तकनीकीकरण से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग करने में मानव की दक्षता बढ़ती गई फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का स्तर चरम सीमा तक पहुँच गया। दोहन की इस प्रकृति के परिणामस्वरूप जब प्रकृति द्वारा विनाशकारी प्रभाव प्रदान किया जाने लगा तो मानव समाज को अपने व अन्य जीवधारियों के अस्तित्व के लिए पर्यावरण संरक्षण अथवा संवर्धन के लिए सोचना पड़ा। इसलिए भौगोलिक अध्ययन में पर्यावरण प्रबंधन,

आपदा प्रबंधन, सतत विकास तथा मानव पर्यावरण संबंधों के संतुलित रूप की कल्पना की जाने लगी। मनुष्य ने इस विनाशकारी प्रभावों से बचने के लिए वैदिक

समय से ही जल, वायु, अग्नि, सूर्य, वर्षा, पेड़-पौधों आदि की पूजा करता रहा है। अनेक प्राकृतिक घटनाएँ जैसे धरती का हिलना (भूकंप), ज्वालामुखी विस्फोट, बिजली कड़कना आदि को ईश्वरीय घटनाएँ मानकर प्रकृति पूजा करता रहा है। प्रकृति पूजा का अर्थ प्रकृति की महत्ता को स्वीकार करते हुए जीव व मानव कल्याण की कामना करता था। मनुष्य ने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए तथा इन प्राकृतिक घटनाओं से बचते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि प्रकृति के सभी घटक प्राकृतिक नियमों के तहत अपने संबंधो को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, किन्त कभी-कभी मानवीय व अन्य अनेक अपरिहार्य कारणों से जब ये संबंध टूटने लग जाते हैंतो इन घटकों की प्रतिक्रिया होती है। यदि इन प्रतिक्रियाओं की अनदेखी की जाए तो धीरे-धीरे अनेक प्रर्यावरणीय संकट पैदा हो जाते हैं इससे मानव व जीव-जंतुओं का जीवन खतरे में परिवर्तित हो जाता है तो यही विनाशकारी घटना प्राकृतिक आपदा कहलाती है। पर्यावरणीय संकट के कारण ये प्राकृतिक आपदाएँ विश्व स्तर पर निरंतर बढ़ रही हैं और अपने प्रभाव क्षेत्र तथा गहनता को निरंतर बढ़ा रही हैं। सैकड़ों तथा हजारों वर्ष पूर्व भी प्राकृतिक आपदाएँ घटित होती थीं, किंतु मानव

द्वारा प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने से एवं आबादी कम होने के कारण जन-धन की हानि कम होती थी, किंतु वर्तमान समय में घनी आबादी, शहरीकरण, खतरे वाले स्थानों का बस्तियों के लिए चुना जाना तथा मनुष्य की अनियोजित व अवैज्ञानिक गतिविधियों के कारण घटित होने वाली आपदाओं से कई गुना विनाश बढ़ गया है। इन आपदाओं के कारण सामाजिक कार्य क्षमता तथा संसाधन वहन क्षमता तहस-नहस हो जाती है तथा संसाधानों का विनाश होता है। इस हानि की मापा नहीं जा सकता।

मानव प्रकृति का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है तथा पृथ्वी के सबसे विकसित व शक्तिशाली जीवों में से एक है, किंतु वह अभी भी आपदा एवं उसके प्रभाव को खत्म करने में सक्षम नहीं हो पाया है। प्राकृतिक घटनाओं एवं आपदाओं को हम वर्तमान तकनीकी जानकारी के आधार पर भी पूर्ण रूप से रोक पाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, किंतु आज के विकसित मनुष्य ने इतनी क्षमता अवश्य विकसित कर ली है कि उसके सामूहिक प्रयासों से इन आपदाओं के दुष्पारिणामों का प्रभाव मानव एवं जीवधारियों पर कम से कम पड़ रहा है।

पिछले कुछ दशकों से एशियायी उपमहाद्वीप में अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएँ आती रही हैं। जिन आपदाओं का व्यापक असर रहा है उनमें जल और मौसम से संबंधित, भौगोलिक एवं जैविक किस्म की आपदा सम्मिलित हैं। इन आपदाओं के कारण दुनिया के विकसित और विकासशील सभी देश प्रभावित रहे हैं। कुछ देश अपने मजबूत अर्थतंत्र के आधार पर आपदा पश्चात पुनः खड़ा हो जाता है तो कुछ देश ऐसे भी हैं जो तबाही के पश्चात् मुश्किल से भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था कर पाते हैं। आपदा प्रबंधन आयोजन एक क्रमिक तथा निंरतर प्रक्रिया है। इसमें अनेक सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठन इस आपदा एवं विनाश का सामाना करने की तैयारी करते हैं। वे इसकी मार कम करने और योजनाबद्ध तरीके से आपदापूर्व स्थिति में लाकर लोगों का कष्ट घटाने और उन्हें सामान्य स्थिति में लाकर काम-धंधों में लगाने की कोशिश करते हैं। इन्हीं तीनों कार्यों को हम यदि सामूहिक रूप से करें तो यही प्रयास आपदा प्रबंधन कहलाता है। सामान्य अर्थ में आपदा प्रबंधन का तात्पर्य- आपदा संभावित एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपदाओं के प्रभावों को व्यवस्थित व योजनाबद्ध तरीके से कम करना है। किसी भी आपदाग्रस्त क्षेत्र में घटित होने वाली किसी भी प्रकार की प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदा के कारण जन-धन की भारी हानि होने के साथ-साथ सामान्य जन जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में सरकारी, गैर-सरकारी तथा व्यक्तियों के समूह द्वारा जरूरतमंद लोगों तक राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रम द्वारा दैनिक जीवन को व्यवस्थित करके सामाजिक भय एवं तनाव दूर किया जाता है। इसी अव्यवस्थित जीवन को व्यवस्थित करने का चरणबद्ध प्रयास व कार्य ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। हमारे देश में आपदा प्रबंधन की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि देश के किसी-न-किसी क्षेत्र में आपदा घटित होने की संभावना बनी रहती है। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम २००५ में आपदा प्रबंधन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है- ''आपदा प्रबंधन का तात्पर्य नियोजन, आयोजन, समन्वयन एवं क्रियान्वयन की सतत एवं समान्वित प्रक्रिया से है।

मुख्य शब्द– रोकथाम, न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी, राहत एवं बचाव

प्रस्तावना–

प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, नेतृत्व एवं नियंत्रण से संबंधित परंपरागत एवं तथ्य परख सूचना प्रणाली पर आधारित मूलभूत प्रबंधन विधानों का समायोजन होता है। यह रोकथाम, न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी, जवाबी कार्यवाही एवं पुनः प्राप्ति के क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न व्यक्तियों व संस्थाओं के मध्य समन्वय सुनिश्चित करता है। निक कार्टन ने आपदा प्रबंधन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है- ''आपदा प्रबंधन एक व्यावहारिक वैज्ञानिक विधा है जो आपदाओं के क्रमबद्ध निरीक्षण एवं विश्लेषण के आधार पर आपदाओं की रोकथाम, न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी, आपातकालीन जवाब एवं पुनः प्राप्ति के लिए समर्पित हो।''

आपदा प्रबंधन हेतु योजनाएँ बनाते समय किसी प्रकार का संशय अथवा गलत व्याख्या न हो इसीलिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम २००५ में आपदा प्रबंधन इस प्रकार से परिभाषित किया गया है- ''राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना का तात्पर्य राष्ट्र में आपदाओं का सामना करने हेतु लिए जाने वाले निर्णयों वे किए जाने वाले कार्यों को परिभाषित करने के उद्देश्य से विकसित एवं आवश्यकतानुसार समय-समय पर पुनरीक्षित योजना से है।''

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर आपदाएँ आने से प्रशासन तंत्र तथा सामाजिक-आर्थिक तंत्र पर अत्याधिक तनाव व दबाव बढ़ जाता है। सारा प्रशासनिक तंत्र आपदा घटित होने के बाद राहत और पुनर्वास कार्यों पर लग जाता है। भारत में प्राकृतिक संसाधानों का प्रबंधन कामोबेश एक त्रासदी रही है। इस त्रासदी में मिट्टी भरे बाँध, प्रदूषित नदियाँ, दलदली खेत, वीरान पहाड़ियाँ, नुचे तथा कुचले हुए चरागाह, कृषि भूमि में बढ़ता खारापन, हमेशा के लिए खत्म हाती जीव-जंतुओं की अनेक प्रजातियाँ तथा अन्य अनेक क्षेत्रीय समस्याएँ सम्मिलित हैं। प्राकृतिक संसाधनों का व्यवस्थित प्रबंधन स्थानीय निवासियों की भागीदारी से ही संभव हो सकता है। स्थानीय निवासियों का प्राकृतिक संसाधनों के जटिल तंत्रों से हमेशा से ही निकट का संबंध रहा है। उनके पास यह संचित लोक ज्ञान है कि प्राकृतिक संसाधनों का यह सूक्ष्म तंत्र क्या है तथा ये कैसे संचालित होते हैं। आज भी इस वैज्ञानिक युग में यह संचित लोकज्ञान आधुनिक तकनीकी के रूप में नहीं ढला है। आज हम जिन जटिल तंत्रों के बीच में रहते हैं वे अत्यंत विविधापूर्ण हैं। इनमें स्थानीय परिवर्तन बहुत ही महत्त्व रखता है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन हमारे देश में बिखरे हुए तरीके से होता है। पर्यावरण के एक घटक का प्रबंधन करते समय अन्य घटकों के साथ अंतर्संबंधों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यही कारण है कि हमारे देश में प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं।

आपदाएँ प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर निर्भर करती हैं। प्राकृतिक संसाधानों का प्रबंधन मुख्यता योजनाओं तथा विकास की प्रक्रिया से जुड़ा होता है। विकास ऊपर से नीचे बहने वाली एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति

दिलाने में हमारे देश की अफसरशाही व्यवस्था तथा प्रबंधक दोनों ही न तो समर्थ हैं और न इच्छुक। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में अलग अलग लोगों के अपने निहित स्वार्थ होते हैं। हमारे देश का तकनीकी समूह चाहता है कि वह वैज्ञानिक जानकारी का संकलन करे तथा अपने सिद्धांतों व तकनीकी का परीक्षण करे। स्वैच्छिक संस्थाएँ चाहती हैं कि खुद के संचालन हेतु कुछ फंड मिले और स्थानीय लोगों व समाज में लोकप्रियता व आधार बने। वरिष्ठ अधिकारी चाहते हैं कि कार्यालयों में बैठकर विकास प्रक्रिया को सुधारा जाए। मध्यम स्तर के अधिकारी चाहते हैं कि उनके विभाग को कुछ नई प्रोजेक्ट मिल जाए। निचले स्तर के अधिकारी चाहते हैं कि ज्यादा-से-ज्यादा फंड मिले। स्थानीय निवासियों तथा आपदा प्रभावित व संभावित क्षेत्र के लोगों को न ही संबंधित ज्ञान होता है, न ही सरकारी तंत्र पर भरोसा होता है और न ही वैज्ञानिक संस्थाओं पर। स्थानीय निवासी चाहते हैं कि अधिकतम सब्सिडी तथा राहत मिले और सरकारी कार्यक्रमों में अधिकतम लाभ मिले। इस तरह की विभिन्न सोच व स्वार्थों के कारण प्राकृतिक संसाधनों तथा आपदा का तर्क संगत प्रबंधन दूर रह जाता है, आज देश के अनेक प्रदेशों में जल, सिंचाई, सूखा, बाढ़ संबंधित मुद्दों पर काम करने वाले अनेक विभागों ने अब अपने नाम बदल दिए हैं। अब सिंचाई विभाग जल संसाधन विभाग, बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बाढ़ प्रबंधन विभाग तथा राहत और पुनर्वास विभाग के नाम बदलकर आपदा प्रबंधन विभाग का चोला पहन लिया है। नाम परिवर्तन से ऐसा मालूम होता है कि जैसे इन विभागों की कार्य-प्रणाली सुधर गई है। इन विभागों की कार्यशैली व मानसिकता अभी भी वही है।

आपदा प्रबंधकों को लगता है कि आपदा की तह तक पहुँचकर उसके कारणों का पता लगाना उनका काम नहीं है जबकि आपदाओं को तकनीकियों के समुचित उपयोग द्वारा तथा स्थानीय लोगों के पारंपरिक बौद्धिक कौशल से रोका जा सकता है। आपदा प्रबंधकों को मुख्य कार्य आपदा में फँसे लोगों को बाहर निकालना है। आपदा प्रबंधन का पहला सिद्धांत है आपदा निवारण। जब तक हम आपदा के कारणों को दूर करने पर जोर नहीं देंगे तब तक आपदाएँ घटित होती रहेंगी। आपदाओं का असर कम करने के लिए कारणों की पहचान, संसाधनों का मूल्यांकन तथा पुनर्निवेश की आवश्यकता है। आपदाओं एवं प्रकोपों के प्रभावों को कम करने तथा इनके प्रबंधन के अंतर्गत तीन पक्षों को सम्मिलित किया जाता है-

१.आपदा संभावित क्षेत्रों की पहचान तथा संभावित घटनाओं की भविष्यवाणी करना ताकि घटना के प्रभावों को कम से कम किया जा सके।
२.आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोगों तक राहत सामग्री तुरंत पहुंचाना तथा घायलों का उपचार करना।
३.आपदाओं एवं प्रकोपों के साथ समायोजना के उपाय करना।

आपदा प्रबंधन के तीन महत्त्वपूर्ण पहलू हैं–

१.आपदा से पूर्व का प्रबंधन,
२.आपदा के समय प्रबंधन,
३.आपदा के पश्चात् प्रबंधन।

आपदा पूर्व प्रबंधन को जोखिम प्रबंधन के नाम से भी जाना जाता है। जोखिम प्रबंधन के तीन महत्त्वपूर्ण अंग हैं–

१.जोखिम की पहचान,
२.जोखिम में कमी,
३.जोखिम का स्थानांतरण।

किसी भी आपदा के जोखिम को प्रतिबंधित करने के लिए एक प्रभावकारी रणनीति का प्रारंभ जोखिम की पहचान से ही होता है। इसमें प्रकृति ज्ञान और पर्याप्त सीमा तक उसमें जोखिम के विषय में सूचनाएँ सम्मिलित होती है। इसमें स्थान विशेष के प्राकृतिक वातावरण के विषय में जानकारी के अतिरिक्त वहाँ के संभावित खतरों से वहाँ कितनी जनसंख्या तथा उसके पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, इसका पूर्व निर्धारण सम्मिलित है। आपदा प्रबंधन में व्यापक कार्य-क्षेत्र तथा कई पक्षों के सम्मिलित होने के कारण यह अनिवार्य है कि समन्वय के लिए ढाँचा स्वीकृत किया जाए और उपलब्ध कराया जाए। आपदा के सभी चरणों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए आपदा घटना स्थल का पुनरुद्धार अथवा न्यूनीकरण में प्रबंधन की आवश्यकता है।

व्यवस्थित आपदा प्रबंधन के लिए हमें दो बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और ये है जानकारी और बचाव। किसी भी आपदा या आकस्मिकता जिसका पहले से घटित होना निर्धारित नहीं है, से बचाव में जानकारी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जानकारी अर्थात् आपदाएँ क्या हैं, यह कितने प्रकार की होती हैं, कैसे आती हैं, कब आती हैं, किस तरह की जन-धन की हानि तथा विनाश करती हैं आदि। विज्ञान के एक सामान्य छात्र की तरह यदि हम आपदाओं के संदर्भ में क्या, क्यों, कब और कैसे आदि प्रश्न और उसके उत्तर जान लें तो सभी तरह की आपदाओं का प्रबंधन सरल हो जाएगा। एक प्रभावी आपदा प्रबंधन नीति और व्यवस्था के लिए जरूरी है कि वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर आपदा संबंधित स्थिति, सूचनाएँ भविष्यवाणियों की पहले समीक्षा की जाए। आपदा प्रबंधन के लिए एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि स्थानीय व पारंपरिक जानकारी ज्यादातर आपदाओं के मामलों में अत्यधिक कारगर व प्रभावी होती हैं। आपदा प्रबंधन के लिए एक बात और महत्त्वपूर्ण है और वह है आपदाओं के साथ जीने की कला का विकास।

भारत में आपदा प्रबंधन नीति–

भौगोलिक तथा जलवायु की विविधता के कारण हमारे देश का अधिकांश भाग आपदाओं की संभावनाओं से घिरा रहता है।

बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात, तूफानी लहरें, लू, शीतलहर, वनाग्नि, भूस्खलन, हिमस्खलन तथा अन्य अनेक मानव जनित आपदाएँ घटित होती रहती हैं। इन आपदाओं से जान-माल की हानि के साथ-साथ पशुधन, प्राकृतिक संसाधन तथा मनुष्य की जीवन-शैली पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भारत में वर्ष १९८० से २०१० तक की अवधि में प्रमुख प्राकृतिक आपदाएँ तथा उनके प्रभावों का मूल्यांकन तालिका-१ से स्पष्ट है-

तालिका–1

वर्ष 1980 से 2010 तक भारत में प्रमुख प्राकृतिक आपदाएँ तथा अन्य प्रभाव

सूखा	7 घटनाएँ
बड़े पैमाने पर सूखा	1 घटना
भूकंप	16 घटनाएँ
महामारी	56 घटनाएँ
अति गर्मी	38 घटनाएँ
बाढ़	184 घटनाएँ
बड़े पैमाने की अतिवृष्टि	34 घटनाएँ
तूफान	92 घटनाएँ
कुल	428 घटनाएँ
मृत लोगों की संख्या	143039
औसत मृत व्यक्ति प्रतिवर्ष	4614
प्रभावित लोगों की संख्या	1521726127
औसत प्रभावित व्यक्ति प्रतिवर्ष	49087940

इन आपदाओं के कारण सामान्य प्रशासन तथा सामाजिक-आर्थिक तंत्र पर दबाव अधिक बढ़ जाता है। सन् २००५ से पूर्व इन आपदाओं को समन्वित और प्रभावी तरीके से रोकने और उन्हें घटित न होने देने का शायद ही कोई गंभीर प्रयास किया गया हो। पूरा प्रयास आपदा घटित होने के बाद राहत और पुनर्वास कार्यों पर लगाया जाता रहा है। बीसवीं सदी के अंतिम दशक तथा इक्कीसवीं सदी के पहले दशक की चार विनाशकारी आपदाओं में वर्ष १९९३ और २००१ में क्रमशः लातुर और भुज में आए भूकंप, वर्ष १९९९ का उड़ीसा का चक्रवात, वर्ष २००४ में हिंद महासागर में आई सुनामी आपदा तथा जून २०१३ में केदारनाथ घाटी में आयी जलप्रलय ने आपदा दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए विवश किया। इसके पश्चात् अब आपदा प्रबंधन में राहत और पुनर्वास के स्थान पर रोकथाम, तैयारी, न्यूनीकरण तथा पुनर्शक्तिकरण पर जोर दिया जाने लगा।

आपदा प्रबंधन जननीति में इस परिवर्तन की घोषणा करते हुए दसवी पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि ''प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन और निराकरण की पारंपरिक विधियाँ आपदा राहत के विचार तक सीमित रही है। इसे गैर-योजनागत व्यवसाय माना जाता रहा है, लेकिन भारी आपदाओं के प्रभाव को केवल तत्कालिक राहत का प्रावधान कर समाप्त नहीं किया जा सकता है। आपदाओं का अर्थतंत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है, उनसे जीवन और धन की भारी छति होती है और किसी क्षेत्र या राज्य के विकास प्रयासों को बड़ा धक्का लग सकता है। वर्ष-दर-वर्ष देश जिस तरह की आर्थिक हानि और विकास गतिविधियों पर धक्के झेल रहा है, उनके तहत हमारी विकास प्रक्रियाओं को आपदाओं की रोकथाम और निराकरण के विषय में संवेदनशील होना होगा।'' इस योजना में भविष्य के लिए कार्य योजना का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि ''भारत में आपदा प्रबंधन की भावी कार्य योजना इस संकल्प पर आधारित है कि मौजूदा समाज में प्राकृतिक तथा अन्य खतरों से बचा नहीं जा सकता है, लेकिन भविष्य में भी यही स्थिति बनी रहे, यह जरूरी नहीं है। समाज में भविष्य में कोई भी आपदा घटित होने की स्थिति में उससे प्रभावशाली तरीके से निपटने के लिए कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है। समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए बहुआयामीम नीति बनाए जाने की आवश्यकता है। इसमें एक तरफ तो रोकथाम, तैयारी, अनुक्रिया, पुनर्संशक्तीकरण को सम्मिलित किया जाए वहीं दूसरी तरफ जोखिम कम करने और उसका प्रभाव समाप्त करने के लिए विकासात्मक प्रयास किए जाएँ। तभी हम धारणीय विकास की उम्मीद कर सकते है।'' भारत जैसे देश में जहाँ अधिक जनसंख्या, अशिक्षा और गरीबी के कारण आपदा का प्रभाव और भी अधिक गहरा

हो जाता है। इन्हीं कारणों से हमारे देश के नीति-निर्माताओं ने इस दर्शन को आधार बनाकर इस दिशा में चौतरफा दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता अनुभव की जिसमें वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, वित्तीय, सामाजिक सभी पहलुओं का समावेश कर आपदा से होने वाली क्षति को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी योजना के तहत एक एकीकृत राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संरचना विकसित की गई जिसमें अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और विकास की परस्पर निर्भरता पर प्रकाश डाला गया है और उन्हें गरीबी निवारण, क्षमता निर्माण तथा सामाजिक सशक्तिकरण सहित आपदा रोकथाम व तैयारी के लिए अन्य विभिन्न ढाँचागत तथा गैर-ढाँचागत मुद्दों से जोड़ा गया है ताकि संबंधित जोखिमों का प्रभावी तरीके से निराकरण किया जा सके।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के लाभ- राष्ट्र द्वारा आपदा से उत्पन्न खतरों के सभी आयामों का सामना करने हेतु पर्याप्त व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कर उनको निरंतर बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस नीति के अभाव में आपदाओं का सामना करने के उद्देश्य से स्थापित व्यवस्थाओं का अपर्याप्त होना स्वाभाविक है। इसके कारण आपदा की स्थिति में भौतिक, जैविक तथा मानव संसाधनों की भारी क्षति होगी और पूरा देश प्रभावित होगा।

आपदा प्रबंधन नीति स्पष्ट होने की स्थिति में प्रमुख लाभ निम्न है–

१.आपदा संबंधित कार्यों में सरकार की ओर से स्पष्ट नेतृत्व।
२.उपयुक्त वैधानिक एवं अन्य संबंधित व्यवस्थाओं हेतु सशक्त आधार।
३.सुदृढ़ संस्थागत व्यवस्था हेतु उत्तरदायित्वों का स्पष्ट निर्धारण।
४.खतरों का सामना करने हेतु उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए वृहद मार्ग निर्देश।
५.आपदा का सामना करने हेतु राष्ट्रीय क्षमता एवं आत्मनिर्भरता का विकास तथा इस क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के साथ समन्वयन।

अध्ययन के उद्देश्य– राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

१.ज्ञान, तकनीकी और शिक्षा के माध्यम से सभी स्तरों पर तैयारी, निवारण और प्रतिरोध की संस्कृति को बढ़ावा देना।
२.प्रौद्योगिकी, पारंपरिक ज्ञान और पर्यावरण की निरंतरता पर आधारित न्यूनीकरण उपायों में प्रोत्साहित करना।
३.आपदा प्रबंधन को विकास योजना प्रक्रिया की मुख्यधारा में सम्मिलित करना।
४.समर्थकारी नियामक वातावरण और सहमति प्रणाली तैयार करने के लिए संस्थागत और तकनीकी-विधिक ढाँचे स्थापित करना।
५.आपदा जोखिमों के निर्धारण, आकलन और निगरानी के लिए कुशल तंत्र सुनिशिचित करना।
६.सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रतिक्रियाशील और अचूक संप्रेषण पर आधारित तात्कालिक पूर्वानुमान और शीघ्र चेतावनी प्रणालियाँ विकसित करना।
७.जागरूकता पैदा करने के लिए मीडिया के साथ लाभकारी भागीदारी को बढ़ावा देना तथा क्षमता विकास में योगदान देना।
८.समाज के संवेदनशील वर्गों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी दृष्टिकोण के साथ प्रभावी कार्यवाही और राहत सुनिश्चित करना।
९.अधिक सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रतिरोधी ढाँचे और आवासों का निर्माण करने के अवसर के रूप में पुनर्निर्माण कार्य करना।
१०. आपदा प्रबंधन में मीडिया के साथ लाभकारी और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पर नीति में परिवर्तन- भारत सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में आमूल चूल परिवर्तन किया है। यह नीति अब केवल राहत पहुंचाने तक सीमित नहीं है अपितु आपदाओं से निपटने की तैयारियों उनके न्यूनीकरण और बचाव पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। दृष्टिकोण में यह परिवर्तन इन धारणाओं के फलस्वरूप आया कि विकास प्रक्रिया में जब तक आपदा न्यूनीकरण को उचित स्थान नहीं दिया जाता है तब तक विकास प्रक्रिया को लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता है। इससे आपदा प्रबंधन की पुरानी तथा नई नीति की तुलना तालिका-२ से स्पष्ट है।

तालिका–2
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की पुरानी तथा नई नीति में अंतर

पुरानी नीति	नई नीति
1 योजनाएँ आपदा पश्चात् सहायता एवं पुनर्वास के संदर्भ में केंद्रित थी।	योजनाएँ आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा प्रबंधन के संदर्भ में केंद्रित है।
2 विकास योजनाओं को सम्मिलित नहीं किया गया था।	अब इसे संयुक्त रूप से विकास योजनाओं में सम्मिलित किया गया है।
3 योजनाएँ सहायता एवं पुनवार्स के नाम से जानी जाती थी।	अब इसमें प्रबंधनको जोड़ दिया गया है तथा आपदा न्यूनीकरण कार्यक्रमों को स्पष्ट किया गया है।
4 किसी आपदा की पूर्व सूचना के लिए वहाँ उपलब्ध क्षेत्रीय संचार व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता था।	जब सूचनाओं के स्रोतों को विकसित किया गया है ताकि आपदा की पूर्व सूचना प्राप्त हो सके। अब वह सूचना तंत्र कंम्प्यूटर तथा वेब से जुड़ा हुआ है।
5 प्रायः पर्यावरण को दृष्टि में नहीं रखा जाता था।	आपदा प्रबंधन की असुरक्षा कम करने की योजनाओं में पर्यावरण, गरीबी एवं विकास आदि इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है।
6 आपदा संबंधित सभी योजनाएँ गृह एवं कृषि मंत्रालय द्वारा सर्वोच्च स्तर पर देखी जाती थी।	अब इस कार्य के लिए राष्टीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया है, जिसके अध्यक्षक प्रधानमंत्री है।
7 पहले आपदा राहत के बाद कार्यों की समीक्षा की उपेक्षा की जाती थी।	अब आपदा प्रबंधन योजनाओं में कार्यों की समीक्षा को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
8 पहले जनजागरूकता एवं प्रशिक्षण पर जोर नहीं दिया जाता था।	अब जनजागरूकता, प्रशिक्षण एवं सामंजस्य पर जोर दिया जाता है।

आपदा प्रबंधन की नई पहल–

भारत सरकार ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करने के लिए वर्ष १९९९ में एक उच्च शक्ति समिति का गठन किया। इस समिति ने देश के विभिन्न समूहों से चर्चा की तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंध समिति ने उच्च शक्ति समिति की रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद कुछ सुझावों का अनुमोदन किया। इसमें मुख्य सुझाव आपदा प्रबंधन का मुख्य दायित्व कृषि मंत्रालय से लेकर गृह मंत्रालय को सौंपा जाना था। इस बीच देश में कुछ बड़ी–बड़ी विनाशकारी आपदाएँ आई जिससे भारत सरकार को राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था शुरू करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धता व्यक्त की। आपदा प्रबंधन अधिनियम २००५ में दिए गए प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने देश के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों के परामर्श से आपदा प्रबंधन क्षेत्र की कमजोरियों को सुधारने की कार्य योजना तैयार की है। आपदा के बाद राहत के स्थान पर आपदा के पूर्व तैयारियों पर अब ज्यादा जोर दिया जा रहा है। आपदा न्यूनीकरण परियोजनाएँ प्रारंभ की जा रही हैं और आपात स्थिति में कार्यवाही करने की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005–

यद्यपि हमारे देश में विनाशकारी आपदाएँ आती रहती हैं, किंतु आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन तब आया जब २६ दिसंबर २००४ करे हिंद महासागर में सुनामी ने दस्तक दी। इसका देश की अर्थव्यवस्था जन–जीवन तथा पर्यावरण पर भीषण असर पड़ा और इससे सात राज्य प्रभावित हुए। उस समय यह अनुभव किया गया कि हमारे देश में चेतावनी, तालमेल तथा आपदा प्रबंधन में भारी अंतर है। परिणामस्वरूप ९ जनवरी २००५ को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इस बैठक के बाद भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन पर एक कानून बनाने का निश्चय किया जिसका उद्देश्य इस कार्य के लिएएक संस्थागत तंत्र की रचना करना, आपदा प्रबंधन योजनाओं को लागू करने तथा इसकी प्रगति पर नजर रखने के लिए जोर दिया। सरकार के विभिन्न पक्षों द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के न्यूनीकरण और निवारण के लिए उपाय करने और इस संबंध में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए समग्र, समन्वित और अविलंब तरीके से निपटने के लिए कार्यवाही की आवश्यकता बताई। इसके पश्चात् ११ मई, २००५ को राज्य सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया इसके पश्चात् २३ दिसंबर २००५ को संसद के दोनों सदनों में आपदा प्रबंधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ जो इस बात की ओर इशारा करता है कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सरकार के दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन आया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम २००५ में व्यवस्था की गई है कि आपदाओं के समय केंद्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर कानूनी, वित्तीय और समन्वय तंत्र बनाए जाएँगे। ये संस्थान समानांतर नहीं होंगे और एक–दूसरे के साथ निकट समन्वय बनाकर काम करेंगे। नई संस्थागत संरचना से आशा की जाती है कि वह आपदाओं से निपटने की दिशा में संस्थागत तरीके से काम करेगी और इस कार्य के लिए तैयारी निवारण और शमन पर जोर दिया जाएगा।

आपदा प्रबंधन अधिनियम २००५ द्वारा आपदा को प्राकृतिक अथवा मानव जनित दुर्घटना अथवा लापरवाही या त्रुटि के कारण घटित ऐसी घटना के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके कारण वृहद स्तर पर मानव क्षति अथवा कष्ट हो, संपत्ति की क्षति या विनाश हो अथवा पर्यावरणीय क्षति या अवनति हो और घटना का परिणाम प्रभावित जनसमुदाय की सामना की सीमा से

अधिक हो।

आपदा प्रबंधन अधिनियम २००५ के द्वारा आपदा प्रबंधन को नियोजन, आयोजन, समन्वयन एवं क्रियान्वयन की सतत एवं समन्वित प्रक्रिया के रूपमें परिभाषित किया गया है।

वर्ष २००५ में आपदा प्रबंधन अधिनियम बन जाने के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई। उपर्युक्त अधिनियम में राज्य स्तर और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन की व्यवस्था है। जब देश में आपदा प्रबंधन की व्यवस्था के लिए कानूनी आधार भी प्रदान किया गया है और इसके लिए नियम और जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। इस अधिनियम में आपदा में कमी लाने और राहत कार्यों के लिए बजट आवंटन की भी व्यवस्था कर दी गई है। इन व्यवस्थाओं के अनुसार सरकार प्रभावशाली तरीके से आपदाओं के कारण लोगों और देश पर पड़ने वाले कुप्रभाव को कम करने का प्रयास करेगी।

आपदा प्रबंधन का संस्थागत ढाँचा–

देश में आपदा प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने वर्ष २००५ में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय संस्थागत ढाँचा तैयार किया जो निम्न प्रकार से है–

1.राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण–

राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इस संस्था के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। इसमें उपाध्यक्ष के अतिरिक्त ८ अन्य सदस्य भी होते हैं। भारत सरकार के गृह, वित्त और कृषि विभागों के मंत्री तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्राधिकरण की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं ताकि निर्णयों में तालमेल बना रहे और विकास की मुख्यधारा में आपदा प्रबंधन को उचित स्थान मिल सके। उच्च विशेषज्ञता प्राप्त राष्ट्रीय आपदा दल प्रबंधन दल की आठ बटालियन गठित की गई है। किसी भी प्राकृतिक अथवा मानवकृत आपदा से निपटने के लिए यह बल अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। इनमें से चार बटालियनों को आणविक, जैविक तथा रासायनिक आपदाओं से निपटने में प्रशिक्षित किया गया है और इसके लिए जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। दो बटालियनों को पर्वतों पर खोज और बचाव कार्यों तथा बाकी दो को समुद्री खोज और बचाव कार्यों में प्रशिक्षित किया गया है। इन सभी बटालियनों को प्रशिक्षित करने के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त केंद्रित गृह सचिव की अध्यक्षता वाली एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति भी प्राधिकरण को कार्य निष्पादन करने में सहायता प्रदान करेगी। राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रमुख विभागों के सचिव तथा एकीकृत रक्षा बलों के प्रमुख इसके सदस्य होंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नीतियों तथा योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा सरकार और प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना इस समिति का दायित्व होगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य–

आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा ६ द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों को निम्नवत् परिभाषित किया गया है–

१.आपदा प्रबंधन संबंधित नीतियों का निर्धारण।
२.राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना का अनुमोदन।
३.राष्ट्रीय योजना के अनुरूप भारत सरकार के मंत्रालयों व विभागों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन।
४.राज्य प्राधिकरणों को राज्य की आपदा प्रबंधन योजना बनाए जाने हेतु मार्ग निर्देश।
५.भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों को उनकी विकास योजनाओं व कार्यक्रमों में आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण संबंधित पक्षों के समायोजन हेतु मार्ग निर्देश।
६.आपदा प्रबंधन संबंधित योजना व नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समन्वय।
७.न्यूनीकरण संबंधित परियोजनाओं हेतु संसाधनों की संस्तुति।
८.आपदा प्रभावित राष्ट्रों को केंद्र सरकार के निर्धारण के अनुरूप सहायता उपलब्ध कराना।
९.आपदा अथवा भयावह आपदा की स्थितियों का सामना करने की दृष्टि से आवश्यकतानुसार आपदा रोकथाम, न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी एवं क्षमता विकास हेतु उपयुक्त कार्यों का संपादन।
१०.राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु नीति निर्धारण।

2.राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण–

राष्ट्रीय स्तर के समान राज्य स्तर पर भी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री इस संस्था का अध्यक्ष होता है तथा उसके द्वारा नामित व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दायित्व आपदा प्रबंधन संबंधित राज्य स्तरीय नीतियाँ और योजनाएँ बनाना है तथा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई राज्य योजनाओं का अनुमोदन करना होता है। सभी राज्यों में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार के संबद्ध सचिवगण इसके सदस्य होते हैं। यह समिति प्राधिकरण के कार्य निष्पादन में सहायता प्रदान करती है। राज्यों ने भी आपदा प्रबंधन कार्य को राजस्व विभाग से हटाकर आपदा प्रबंधन विभाग से जोड़ दिया है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य–

आपदा प्रबंधन अधिनियम २००५ की धारा १८ व १९ द्वारा राज्य प्रबंधन प्राधिकरण की शक्तियों व कार्यों को निम्नवत परिभाषित किया गयाा है–

१.राज्य आपदा प्रबंधन नीति का प्रतिपादन।
२.राज्य आपदा प्रबंधन योजना का अनुमोदन।
३.विभागीय आपदा प्रबंधन योजनाओं का अनुमोदन।
४.राज्य सरकार के विभागों को आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण उपायों को संबंधित विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं में सम्मिलित किए जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।
५.राज्य आपदा प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन।
६.न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी उपायों हेतु संसाधनों की संस्तुति ।
७.आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण उपायों का विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं में समावेश सुनिश्चित करने हेतु विभागीय योजनाओं की समीक्षा।
८.आपदा न्यूनीकरण, क्षमता विकास एवं पूर्व तैयारी हेतु विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा एवं आवश्यक दिशा–निर्देश।

3.जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण–

जिला स्तर पर भी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई है जिसकी अध्यक्षता जिला अधिकारी तथा जिला पंचायत अध्यक्ष सह अध्यक्ष के रूपमें सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। जिला स्तर की समितियों की सह अध्यक्ष के रूप में सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। जिला स्तर की समितियों की सह अध्यक्षता संबंधित जिला परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधि भी करेंगे। जिला प्राधिकरण जिला स्तरीय योजना, समन्वय तथा क्रियान्वयन संस्था के रूप में कार्य करेंगे। यह राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय प्राधिकरणों के दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्य करेंगे। जिला प्राधिकारण आपदा संभावित क्षेत्रों की पहचान करेंगे तथा उसके अनुरूप जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करके आपदा रोकथाम तथा इसके प्रभावों के निराकरण के उपाय करेंगे। इस कार्य में वे राज्य सरकार के विभागों, जिला प्रशासन तथा स्थानीय निकायों की मदद लेंगे। प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ चलाने की जिम्मेदारी स्थानीय अधिकारियों की होगी।

आपदा की स्थिति में जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य–

आपदा प्रबंधन अधिनियम २००५ की धारा ३४ के अंतर्गत आपदा की स्थिति में जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों को निम्नवत् परिभाषित किया गया है–

१.जनपद में अवस्थित सरकारी विभागों व निकायों के पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा प्रबंधन संबंधित प्रयोजनों के लिए उपलब्ध करवाए जाने हेतु निर्देश।
२.आपदा संभावित व आपदा प्रभावित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण व प्रतिबंध।
३.आपदा संभावित व आपदा प्रभावित क्षेत्र में व्यक्तियों के आवागमन पर नियंत्रण व प्रतिबंध।
४.मलवा हटाना तथा खोज व बचाव कार्य।
५.आश्रय, भोजन, पेयजल, आवश्यक वस्तुओं, स्वास्थ्य सुविधाओं व अन्य सेवाओं की व्यवस्था।
६.प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन संचार व्यवस्था की स्थापना।
७.मृतकों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था।
८.जनपद में स्थित किसी भी सरकारी विभाग व विकास को आपदा की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक उपाय किए जाने के निर्देश।
९.आवश्यकतानुसार संबंधित विषय के विशेषज्ञों व परामर्शदाताओं से विचार–विमर्श।
१०.किसी भी संस्था या व्यक्ति से आवश्यकतानुसार आपूर्ति।
११.अस्थायी पुलों व अन्य आवश्यक संरचनाओं का निर्माण तथा जनसुरक्षा के दृष्टिगत असुरक्षित अवसंरचनाओं को ध्वस्त किया जाना।
१२.सुनिशिचित किया जाना कि स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा दी जा रही सेवाओं में किसी प्रकार का भेदभाव न हो।
१३.स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक एवं वांछित अन्य कार्यों का संपादन।

आपदा प्रबंधन में नागरिक सुरक्षा संगठन अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन में नागरिक सुरक्षा की सेवाओं के उपयोग को सहमति देते हुए आदेश जारी किया कि नागरिक सुरक्षा संगठन अब प्रत्येक जिले में स्थित होगा। नागरिक सुरक्षा संगठन का लाभ यह है कि यह एक सामुदायिक संगठन है और किसी भी आपदा की स्थिति में सहायता करने वालों के रूप में यह पूरे समुदाय को तैयार करता है। यह संगठन समाज में जागरूकता और तैयारी से संबंधित गतिविधियों की जानकारी देने में भी सहायता प्रदान करता है। इन विचारों के कारण देश की नीति में यह परिवर्तन आया कि कोई भी विकास योजना तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक रोकथाम तैयारी, आपदा न्यूनीकरण तथा पुनर्सशक्तिकरण कार्यक्रमों को उसमें सम्मिलित नहीं

किया जाता है। यह भी सोच बनी कि आपदा न्यूनीकरण के लिए किया गया कोई भी निवेश उस आपदा पर की जाने वाली सहायता के व्यय से कहीं ज्यादा लाभप्रद है। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जो ढाँचा तैयार किया गया उससे आपदा प्रबंधन को बल मिला। इसके लिए जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क तैयार किया गया उसके प्रमुख बिंदु निम्न हैं–

१.प्रशासनिक ढाँचे में परिवर्तन।
२.स्पष्ट नीति निर्धारण।
३.कानूनी एवं तकनीकि नीति निर्धारण।
४.आपदा न्यूनीकरण कार्यक्रम को विकास योजनाओं में सम्मिलित करना।
५.वित्तीय प्रबंधन।
६.विशेष आपदा न्यूनीकरण योजनाएँ।
७.आपदा पूर्व तैयारी की योजनाएँ।
८.क्षमता में वृद्धि।
९.मानव संसाधन विकास योजना।
१०.सामुदायिक भागीदारी।

उपर्युक्त फ्रेमवर्क के तहत कुछ महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं जो कि निम्न प्रकार से है–
१.केंद्रिय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का गठन जिसे कानूनी वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियाँ प्राप्त हैं।
२.राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग का सृजन।
३.राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन।
४.आपदा न्यूनीकरण कार्यक्रम को विकास के कार्यक्रम से जोड़ना।
५.समय-समय पर पुराने कानून एवं कोड पर विचार (बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन कोड)
६.राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया दल का गठन।
७.राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना बनाना।
८.जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना बनाना।
९.विकास खंड स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना बनाना।
१०.सामुदायिक सहयोग आधारित ग्राम आपदा न्यूनीकरण योजना बनाना।

आपदा प्रबंधन के चरण– सरकार आपदा प्रबंधन के लिए चार बातों को महत्त्व देती है। ये चार बातें निम्न हैं–
(अ) पूर्व तैयारी।
(ब) जवाबी कार्यवाही एवं राहत कार्य।
(स) पुनः प्राप्ति।
(द) जोखिम आकलन।

(अ) पूर्व तैयारी– पूर्व तैयारी आपदा प्रबंधन योजनाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आधार प्रदान करती है। आक्सफोर्ड शब्दकोश द्वारा इस योजना को किए जाने वाले कार्यों की व्यवस्थित प्रक्रिया के रूपमें परिभाषित किया गया है। कुछ परिस्थितियों में पूर्व तैयारी एवं प्रतिपादन योजना को आपदा प्रतिवादन योजना भी कहा जाता है जो कि पुनः प्राप्ति से संबंधित योजना से भिन्न होता है।

निक कार्टन के अनुसार, ''व्यक्ति, समाज, संस्था एवं सरकार को आपदा की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावशाली प्रतिवादन हेतु सक्षम बनाने वाले सभी उपाय पूर्व तैयारी के अंतर्गत आते हैं। व्यवहार्थ आपदा प्रबंधन योजना का विकास, संसाधनों का उचित रख रखाव व उच्चीकरण तथा कार्यकर्ताओं व कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूर्व तैयारी के विभिन्न उपाय हैं।''

आपदा प्रबंधन चक्र का प्रत्येक पक्ष पूर्व तैयारी को प्रभावित करता है अथवा इससे प्रभावित होता है। प्रकृति में उपलब्ध विविधता पूर्व तैयारी को प्रभावित करती है साथ ही वह व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में जागरूक समाज व सरकारें भी अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अनेक संस्थाओं द्वारा जो पूर्व तैयारी से संबंधित कार्य किए जाते हैं उनमें भी परस्पर समन्वयन की विशेष आवश्यकता होती है।

पूर्व तैयारी में समस्याएँ– पूर्व तैयारी करने वाली संस्थाओं को निम्न क्षेत्रों में समस्याएँ आ सकती हैं–
१.संस्थापन एवं नियोजन के संदर्भ में– इस क्षेत्र में निम्न समस्याएँ आ सकती है–
क. आपदा प्रबंधन की पूर्व निर्धारित अनुपयुक्त नीति निर्देश पूर्व तैयारी संबंधित कार्यों व पूर्व तैयारी के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
ख. उपयुक्त आपदा प्रबंधन योजना का अभाव भी पूर्व तैयारी में बाधक होता है।
ग. पुरानी योजनाओं को यदि समय के साथ उच्चीकृत अथवा लाभकारी नहीं बनाया गया तो यह पूर्व तैयारी के स्तर को प्रभावित करेगी।
घ. समीक्षा के अभाव में योजनाओं को पुराना होने देना आपदा प्रबंधन क्षेत्र की एक गंभीर त्रुटि है।

च. आपदा प्रबंधन हेतु अनुपयुक्त एवं संस्थागत व्यवस्था होने की स्थिति में पूर्व तैयारी उपायों का पूर्णतः प्रभावी न हो पाना स्वाभाविक है।
छ. आपदा पश्चात् किए जाने वाले कार्यों को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता भी पूर्व तैयारी के निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी हो सकती है।
२.संसाधनों के संदर्भ में- विभिन्न संसाधन संपन्न संस्थाओं को सूचीबद्ध कर आपदा से संबंधित कार्यों में उनकी भूमिका एवं उत्तरदायित्व स्पष्ट न किए जाने की स्थिति में पूर्व तैयारियों एवं व्यवस्थाओं में कमी एंव दोहराव होने की संभावनाएँ बनी रहती हैं।
३.समन्वयन के क्षेत्र में- समन्वयन के क्षेत्र में निम्न समस्याएँ बनी रहती हैं-
अ. विभागों एवं संस्थाओं के कार्य करने की प्राथमिकताओं तथा उनकी पूर्व तैयारी के मापदंडों एवं मानकों में भिन्नता होने के कारण तथा समन्वयन के अभाव से पूर्व तैयारी के निम्न स्तरीय व कमियों की संभावना बनी रहती है।
ब. आपदा प्रबंधन संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी संस्थाओं के मध्य गतिरोध, सहयोग का अभाव, संस्थाओं के मध्य प्रतिस्पर्धा तथा वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य टकराव पूर्व तैयारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
४.तत्परता की दृष्टि से- पूर्व तैयारियों हेतु आपातकालीन उपकरण जैसे वैकल्पिक विद्युत उत्पादन उपकरण एवं आपातकालीन संचार उपकरणों का रख-रखाव ठीक नहीं होने के कारण तथा परीक्षण सुनिश्चित नहीं होने के कारण पूर्व तैयारी के अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाते हैं।
५.प्रशिक्षण एवं जनजागरूकता- (अ) आपदा प्रबंधन कर्मियों के कुशल प्रशिक्षित न होने की स्थिति में पूर्व तैयारी का स्तर निम्न रहता है।
(ब) आपदाओं से संबंधित सूचनाओं की अपर्याप्तता एवं जागरूकता का अभाव सामान्यतया पूर्व तैयारी के निम्न स्तर का कारण होता है।

पूर्व तैयारी का आधार– आपदा का सामना करने के लिए आवश्यक पूर्व तैयारी उपायों को चिन्हित व क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है। पूर्व तैयारियों का क्रियान्वयन निम्न आधार पर होना चाहिए-

1.नियोजन आधार– आपदा प्रबंधन योजनाएँ बनाते समय पूर्व तैयारी के लिए उपलब्ध क्षमताओं एवं संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों को नियंत्रित करने वाले विभिन्न सरकारी व गैर-सरकारी विभागों के साथ विचार-विमर्श किया जाना अत्यंत आवश्यक है। किसी बड़ी आपदा की स्थिति उत्पन्न होने की परिस्थितियों का सामना करने के लिये इन विभागों की क्षमताओं व संसाधनों का उपयोग व सहयोग सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए वर्षा काल में पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन द्वारा सड़क मार्ग अवरूद्ध होने पर आवागमन को बनाए रखने के लिए लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन तथा खाद्यान्न आपूर्ति विभाग को पूर्व तैयारियों की योजना प्रदान की जाए।
2.संसाधनों का उपयोग– पूर्व तैयारी हेतु उपलब्ध संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है-
क. संसाधन उपलब्ध कराने की सामर्थ रखने वाली सभी संस्थाओं जैसे-सरकारी, गैर-सरकारी तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सही व नवीनतम सूची बनाना।
ख. प्रतिवादन एवं आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्ति की अवधि में किए जाने वाले कार्यों हेतु विभिन्न संसाधन संस्थाओं के दायित्वों एवं भूमिकाओं का स्पष्ट निर्धारण।
ग. संसाधन संस्थाओं की पूर्व तैयारी की समुचित व्यवस्थाएँ होनी चाहिए ताकि यह अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कर पाने में सक्षम हो।
घ. पूर्व तैयारी व्यवस्थाओं को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी मार्गनिर्देशिका के अनुरूप समान रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
च. विभागीय भूमिकाओं का निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए संसाधन संस्थाओं की क्षमताओं का निरंतर अनुश्रवण किया जाना चाहिए।
छ. अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की प्राप्ति व उपयोग से संबंधित आवश्यक पूर्व तैयारी उपायों पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। इसके अंतर्गत राहत सामग्री की प्राप्ति, भंडारण व वितरण की व्यवस्था, खोजी व सहायता दलों की सेवाओं का उपयोग ईंधन की व्यवस्था, विमान अथवा हैलिकॉप्टर के उतरने की सुविधा आदि आवश्यक व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

3.समन्वयन हेतु प्रयास– आपदा पूर्व तैयारी के अंतर्गत अनेक प्रकार के कार्यों व संस्थाओं की संलिप्तता होती है। इन कार्यों को सफलतापूर्वक संपदित किए जाने के लिए संबंधित प्रयासों की अत्यंत आवश्यकता है।
४.उपलब्ध सुविधाएँ तथा प्रणालियाँ- प्रतिवादन कार्यों के लिए आवश्यक सुविधाएँ तथा प्रणालियों की पूर्व तैयारी भी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित सुविधाओं तथा प्रणालियों को सम्मिलित होना आवश्यक है-
क. आपातकालीन या वैकल्पिक संचार व्यवस्था।
ख. चेतावनी व्यवस्था जिसके अंतर्गत लोगों को सूचना एवं चेतावनी प्रसारित करने की व्यवस्था निहित हो।
ग. संस्थागत संरचना एवं संसाधन संस्थाओं को सक्रिय करने हेतु व्यवस्था।
घ. आपातकालीन परिचालन केंद्र जिसके द्वारा सूचना प्रबंधन का निर्वहन किया जा सके।

च. क्षति एवं आवश्यकताओं के आकलन की व्यवस्था।
छ. आपातकालीन राहत व्यवस्था जैसे भोजन, आवास, चिकित्सा आदि।

५.उपकरण एवं रसद- आपातकालीन उपकरणों एवं रसद (खाद्यान्न) का भंडारण किए जाने की स्थिति में उपयुक्त निगरानी तथा समय तक उपलब्धता सुनिश्चित की जानी आवश्यक है।
६.प्रशिक्षण- प्रशिक्षण पूर्व तैयारी का सबसे महत्त्वपूर्ण आधार है। अतः स्थायी प्रशिक्षण व्यवस्था एवं कार्यक्रम स्थापित किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है जिससे समाज के विभिन्न वर्गों को प्रशिक्षित किया जा सके। यही प्रशिक्षित व्यक्ति पूर्व तैयारी में सहायक बन सकते हैं।
७.सामाजिक जन जागरूकता एवं शिक्षा- संवेदनशील, सतर्क तथा जागरूक जन समुदाय आपदा पूर्व तैयारी के कार्यों में महत्त्वपूर्ण संसाधन बन सकते हैं। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप जनजागरूकता कार्यक्रमों को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है, आपदाओं से संबंधित जानकारियों को शिक्षा पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जा सकता है।
८.राजनैतिक दबाव- भारत जैसे देश में जहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों, राजनैतिक दलों की विचारधाराओं में विविधता आदि का पूर्व तैयारी पर भारी प्रभाव पड़ता है। पूर्व तैयारी में समाज के हर वर्ग की इच्छाओं के अनुसार कार्य कर पाना संभव नहीं हो पाता है फिर भी अतिरिक्त व्यवस्थाएँ व उपाय करके इस दबाव को कम किया जा सकता है।
९.कार्यक्रमों में निरंतरता- आपदा प्रबंधन में पूर्व तैयारी कार्यक्रमों में निरंतरता बनाए रखना जरूरी है। इससे योजनाएँ जीवित रहती हैं साथ ही नए-नए विचारों का समावेश होता रहता है। कार्यक्रमों में प्रचार-प्रसार, अभ्यास व परीक्षण अधिनियमों का उपयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहायता कार्य तथा स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षा आदि प्रमुख कार्य है। पूर्व तैयारियों को प्रोत्साहन देने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन भी होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त पूर्व तैयारी में निम्न बिंदुओं का भी समावेश होना आवश्यक है-
अ. मौक ड्रिल, प्रशिक्षण तथा अभ्यास।
ब. आपदाओं के लक्षण प्रकट होने पर आपदाओं के आने की भविष्यवाणी करना तथा अंतर्राष्ट्रीय चेतावनियों को ग्रहण करना।
स. पारस्परिक सहायता व्यवस्था।
द. भूमि उपयोग की योजना तैयार करना।
च. आपदारोधी भवनों के निर्माण पर जोर।
छ. आपदा घटित होने से भी पहले जोखिम को कम करने के तरीके तलाशना।
ज. असुरक्षित जगहों की पहचान करना तथा
झ. अनियंत्रित व खतरे वाली बसावट को रोकना।

ब. जवाबी कार्यवाही एवं राहत कार्य– आपदा आघात के एकदम पहले या एकदम बाद प्रयुक्त होने वाले समस्त उपा जवाबी कार्यवाही के अंतर्गत आते हैं। इन उपायों का उद्देश्य मानव जीवन को बचाना, संपत्ति की क्षति रोकना तथा आपदा के कारण हुई तत्कालिक क्षति से उत्पन्न स्थितियों का सामना करना होता है।

जवाबी कार्यवाही के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य अत्यंत विस्तृत होते हैं तथा इनकी सफलता पूर्व तैयारी के स्तर पर निर्भर करती है। जवाबी कार्यवाही के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की सफलता व प्रभाविकता तत्पश्चात् किए जाने वाले पुनः प्राप्ति संबंधित कार्यों व आवश्यकताओं को प्रभावित करती है।

जवाबी कार्यवाही से संबंधित कार्य प्रायः बाधाओं तथा कभी-कभी तीव्र मानसिक आघात पहुँचाने वाली परिस्थितियों में किया जाता है इसलिए इन कार्यों का क्रियान्वयन प्रायः अत्यंत कठिन होता है। जवाबी कार्यवाही के समय की यह प्रतिकूल परिस्थितियाँ व्यक्तियों, उपकरणों एवं अन्य संसाधनों पर तीव्र दबाव डालती है। अतः बिना किसी पूर्व योजना, अभ्यास, प्रशिक्षण एवं संस्थागत व्यवस्था के जवाबी कार्यों में अपेक्षित सफलता पा सकना कठिन है।

जवाबी कार्यवाही की विशेषता– आपदा पश्चात् जवाबी कार्यवाही निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर होनी आवश्यक है-
१.जनहानि न्यूनीकरण
२.कष्ट, असुविधा तथा परेशानी निवारण।
३.आवश्यक जीवन रक्षक एवं सामाजिक अवस्थापनाओं की पुनः स्थापना।
४.भविष्य में संभावित क्षति की रोकथाम एवं पुनः प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कार्यों का आधार।
५.जवाबी कार्यवाही की समस्या को हल करने की क्षमता।
६.बाहरी सहायता की आवश्यकता।

जवाबी कार्यवाही में समस्याएँ– आपदा प्रबंधन कार्य में जवाबी कार्यवाही हेतु निम्न प्रमुख समस्याएँ आ सकती हैं-
१.पर्याप्त नीतिगत दिशा-निर्देशों का अभाव।
२.कमजोर संस्थागत व्यवस्था।
३.अपर्याप्त नियोजन।

४.अपर्याप्त पूर्व तैयारी।
५.चेतावनी उपरांत अपर्याप्त समय।
६.आपदा के प्रभावों के कारण चेतावनी प्रसारण तंत्र जैसे रेडियो-दूरदर्शन केंद्र में खराबी तथा संचार व्यवस्था नष्ट होना।
७.लोगों द्वारा समय रहते चेतावनी पर प्रतिक्रिया न कर पाना।
८.जवाबी कार्यवाही तंत्र में परीक्षण एवं अभ्यास का अभाव।
९.क्षति का उच्च स्तर।
१०.महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों की क्षति।
११.आपदा उपरांत मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियाँ।
१२.हेलीकॉप्टर तथा वायुयानों की अनुपलब्धता।
१३.आपदा स्थल पर अनावश्यक भीड़।
१४.आपदा ग्रस्त लोगों को मानसिक आघात पहुँचना।
१५.भोजन, जल, आश्रय, दवाइयाँ आदि राहत सामग्री की अपर्याप्तता।
१६.समाचार माध्यमों से जुड़ी समस्याएँ।

राहत कार्य– जवाबी कार्यवाही के साथ निम्नलिखित राहत कार्यों की तुरंत आवश्यकता है-
१.आपदा केंद्र (नियंत्रण कक्ष) को प्रारंभ करना तथा आपदा व आपदा से उत्पन्न विनाश की प्रकृति तथा परिणाम की सही जानकारी रखना।
२.आपदा प्रबंधन योजनाओं को कार्यरूप देना।
३.आपदा से संबंधित प्राथमिकताओं को निश्चित करना।
४.स्थानीय समूहों की सहायता से सामुदायिक रसोई स्थापित करना।
५.संसाधन जुटाना तथा प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री तभी भेजना जब प्रभावित क्षेत्र सहायता के लिए आह्वान करें।
६.ताजा स्थिति के अनुसार चेतावनी देना।
७.प्रर्याप्त आश्रय और शौचालयों की व्यवस्था करना।
८.रहने के लिए स्थायी व्यवस्था करना।
९.प्रभावित को ढूँढ़ने तथा उनका बचाव करने के लिए प्रशिक्षिण दल को भेजना।
१०.खोज एवं बचाव दल तैनात करना।

(स) पुनः प्राप्ति– पुनः प्राप्ति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज पर राष्ट्र को आपदा प्रभाव के उपरांत क्रियान्वयन के उपयुक्त स्तर पर पहुँचने में सहायता मिलती है। पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया अत्यंत लंबी हो सकती है। यह दो-तीन वर्ष से लेकर आठ-दस वर्ष अथवा इससे भी लंबी हो सकती है। इसके अंतर्गत जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण, पुनर्वास, सामान्य जीवन स्तर पर लौटना तथा दुष्प्रभाव को कम करना मुख्य है।

पुनः प्राप्ति का आधार– निम्नलिखित बिंदु पुनः प्राप्ति को निश्चित आधार प्रदान करते हैं-
१.पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया के लिए विभिन्न पक्षों से संबंधित पर्याप्त सूचना का आधार विकसित होना चाहिए।
२.पुनः प्राप्ति की वृहद रणनीति की परिकल्पना राष्ट्रीय विकास के अनुरूप होनी चाहिए।
३.पुनः प्राप्ति कार्यक्रमों का निर्धारण व क्रियान्वयन जन अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए।
४.पुनः प्राप्ति कार्यक्रमों को समय सीमा के साथ संपन्न करने हेतु नीति बनानी चाहिए।
५.वैज्ञानिक प्रबंधन तथा परस्पर समन्वयन के आधार पर कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं का संचालन व क्रियान्वयन होना चाहिए।

शोध विधि

वर्तमान शोध आपदा प्रबंधन नीति के अन्तर्गत वर्णात्मक शोध विधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में आपदा की रोकथाम, पूर्व तैयारी, राहत एवं बचाव एवं प्रबन्धन नीति पर बल दिया गया है।

अध्ययन का निष्कर्ष

1.आपदा रोकथाम– आपदा की रोकथाम में वे सभी कार्य सम्मिलित है जो किसी भी जोखिम को कम करने में सहायक होते हैं। यह तो एक आम सहमति है कि प्राकृतिक आपदाओं; जैसे- भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी, समुद्री तूफान, हिमस्खलन आदि को रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है किंतु इन आपदाओं के विनाशकारी प्रभावों को कुछ कम किया जा सकता है अथवा बचा जा सकता है। समुद्री तूफान, बाढ़, सूखा, सुनामी आदि आपदाओं की पूर्व सूचना वायरलेस, दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा अन्य सूचना माध्यमों से पूर्व प्रसारित करने से जान-माल की हानि को काम किया जा सकता है। कुछ विकास योजनाओं में निर्माण कार्य करके आपदाओं की रोकथाम की जा सकती है।
2.आपदा का प्रभाव कम करना– आपदा का प्रभाव कम करना आपदा प्रबंधन योजना का प्रमुख कार्य है। इसके अंतर्गत वह सभी कार्य सम्मिलित किए जाते हैं, जिनके संपन्न होने से किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को आपदा से यथासंभव बचाने में सहायता मिलती

है। प्रभाव कम करने की आधारभूत नीतियों में भूमि उपयोग को नियंत्रित करना, भूकंप प्रतिरोधी भवनों का निर्माण करना, तटबंधों का निर्माण करना, भवनों के निर्माण संबंधी संहिता तैयार करना, सामुद्रिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण में विस्फोटक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना, चट्टानों के गिरने से रोकने के लिए अवरोधक खड़े करना, कृषि भूमि की उर्वराशक्ति को बनाए रखने के लिए जैविक कृषि को अपनाना आदि उपाय सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त बीमा एवं ऋण योजनाएँ, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय करना, उपयुक्त चेतावनी प्रणाली और संस्थाओं की स्थापना आदि उपाय भी सम्मिलित है।

3.आपदा से निपटने की तैयारी– आपदाओं से निपटने के लिए उपाय की स्थिति में केंद्र, राज्य, जिला तथा खंड स्तर पर अल्प एवं दीर्घ अवधि की योजनाएँ बनाई जानी चाहिए। बाढ़, सूखा, तूफान और भूकंप जैसी आपदाओं के लिए अलग-अलग आपात योजनाएँ, राहत योजनाएँ तथा पुनर्वास योजनाएँ बनाई जानी चाहिए। आपदाओं से निपटने की तैयारी संबंधी ये सभी उपाय राष्ट्रीय आपदा योजना का महत्त्वपूर्ण भाग होना चाहिए।

4.आपदा आने पर कार्यवाही करना– आपदा आने पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए अन्यथा दूसरी-तीसरी अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए बाढ़ के बाद महामारी की समस्या, वनाग्नि के बाद वायु प्रदूषण तथा भूक्षरण की समस्या, ऐसी ही संबद्ध समस्या है। अतः तुरंत कार्यवाही होना आवश्यक है।

5.आपदा राहत और पुनर्वास– आपदाग्रस्त क्षेत्र में आपदा के स्वरूप तथा सहने की क्षमतानुसार राहत एवं पुनवार्स के कार्य चलाए जा सकते हैं। आपदा के उपरांत सहायता की आवश्यकता, प्रकार, मात्रा तथा अवधि का निर्धारण करने में इससे सहायता मिलती है।

6.आपदा एवं विकास– आपदाओं का प्रत्यक्ष संबंध विकास से होता है। जन-धन की हानि के अतिरिक्त अनेक ऐसी क्रियाएँ या तो मंद हो जाती है अथवा नष्ट हो जाती है जो कि विकास में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपदा से होने वाली क्षति विकास में बाधा बनती है। उदाहरण के लिए दून घाटी उत्तराखण्ड में मसूरी तथा दून की पहाड़ियों में सातवें दशक में चूना-पत्थर की खदानों में खुला खनन कई दशकों वर्ष पूर्व से चलता रहा। खुला खनन के कारण वन विनाश, भूस्खलन, भूक्षरण, जैव-विविधता का ह्रास, जल स्रोतों का सूखना, नदी-नालों का सूखना आदि प्रमुख आपदाएँ पैदा हुई। स्थानीय जनआंदोलन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद दून एवं मसूरी के पर्यावरण को बचाने के लिए आठवें दशक में खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया। इस क्षेत्र में आपदाओं की रोकथाम तथा विकास के लिए सेना द्वारा देश में पहली बार ईको टास्क फोर्स का गठन कर इसके माध्यम से वनीकरण, मृदा संरक्षण आदि अनेक कार्यक्रम चलाकर इस क्षेत्र के पर्यावरण का विकास किया गया है तथा इस क्षेत्र को तनाव मुक्त किया गया।

अध्ययन का विश्लेषण

आपदा प्रबंधन क्षमता विश्लेषण से प्राप्त अनुभव व शिक्षा के आधार पर आपदा प्रबंधन के कई पक्षों को प्रभावी व सुदृढ़ बनाया जा सकता है। अतः इस कार्य हेतु आपदा प्रबंधन क्षमता का विश्लेषण होना आवश्यक है। यद्यपि अधिकांशतया आपदा प्रबंधन क्षमता विश्लेषण व समीक्षा की उपेक्षा की जाती है तथापि आवश्यक रूप से आपदा प्रबंधन क्षमता का विश्लेषण निम्न आधार पर किया जा सकता है-

१.संसाधन सूची- मोटरवोट, नौका, वाहन, मानव संसाधन, टेंट, वायरलेस सेट, वाटर टेंट, टार्च आदि।
२.संवाद संप्रेषण में मीडिया की भूमिका।
३.आपदा प्रबंधन के लिए प्रशासनिक तैयारी; जैसे- पूर्व तैयारी, निकास एवं बचाव, आश्रय प्रबंधन, शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करना।
४.तत्काल सहायता सुविधा।
५.मानवीय चिकित्सा सुविधा।
६.पशु चिकित्सा।
७.कुल पुलिस पदाधिकारियों की संख्या।
८.कुल कांस्टेबुलों की संख्या।
९.कुल चौकीदारों की संख्या।
१०.अग्निशमन में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या।
११.विद्यालयों की संख्या।
१२.पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या, उनके कार्य एवं उत्तरदायित्व।
१३.स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्य एवं उत्तरदायित्व।
१४.सैनिक, अर्द्धसैनिक, भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड, एन.सी.सी. कैडेट, रेडक्रास सोसाइटी के सदस्य, स्काउट-गाइड का उपयोग।
१५.जिल प्रशासन का अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय।
१६.सहायता एवं बचाव कार्य में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के कर्तव्य।
१७.आपदाएँ एवं आपदा प्रबंधन में कौन क्या करें और कौन क्या न करें।
१८.सभी सरकारी विभाग एवं पदाधिकारियों की दूरभाष व मोबाइल फोन संख्या।
१९.सभी पदाधिकारियों को उनके कार्य एवं अधिकार की जानकारी।
२०.आपदा के बाद प्रतिवेदन तैयार करना।
२१.क्षति का आकलन करना।

२२.सभी सरकारी आदेशों का संकलन।
२३.आपदा के समय सहयोग करने वाली सभी राष्ट्रीय एजेंसियों का पता, दूरभाष संख्या तथा ईमेल पता।
२४.आपदा पश्चात योजना जिसके द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

आपदा प्रबंधन हेतु सुझाव- हमारे देश में आपदा के कारण सबसे ज्यादा जन-धन की हानि तथा इससे प्रभावित होने वाले लोग निर्धन वर्ग के होते हैं। आपदा के कारण इनकी आजीविका के साधन नष्ट हो जाते हैं। इन्हें पुनः सामान्य स्थिति में आने तथा भय व तनाव मुक्त होने से लंबा समय लग जाता है। इन परिस्थितियों के उपरांत भी हमारे देश में नीति नियंता समाकलित विकास का लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु जब तक आपदा जोखिम कम करने में सफलता नहीं मिलती है तब तक यह संभव नहीं हो पा रहा है। अतः इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सुझावों को अमल में लाना अतिआवश्यक है।

१.सभी विकास परियोजनाओं एवं कार्यों में आपदा जोखिम कम करने के उपायों को जोड़ना होगा ताकि विकास कार्यों के अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही यह भी प्रयासस करना होगा कि आपदाओं से कम-से-कम विकास कार्य प्रभावित हो।
२.विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए पूर्व चेतावनी प्रणाली को प्रभावशाली बनाया जाए। प्रत्येक क्षेत्र में संचार व्यवस्था सुदृढ़ की जानी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की आपदा के समय सही ढंग से सूचनाओं का आदान-प्रदान हो सके। वैकल्पिक सूचना और संचार प्रणाली तथा आपात यातायात के साधन आदि पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
३.आपदाओं की दृष्टि से जो क्षेत्र संवेदनशील है वहाँ आवश्यक वस्तुओं का भंडारण किया जाना चाहिए क्योंकि आपदा के पश्चात् आवागमन मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में गैस, राशन, मिट्टी का तेल, दवाईयाँ आदि पर्याप्त मात्रा में रखी जाएँ। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सुरक्षित स्थलों जैसे स्कूल, पंचायत घर आदि का चयन करना चाहिए और वहाँ तंबू आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे राहत कार्यों को कुशलतापूर्वक संचालित किया जा सके, क्योंकि आपदा घटित होने पर आवासीय समस्या उत्पन्न हो जाती है।
४.समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विभिन्न माध्यमों से आपदा बचाव के संदर्भ में बृहद स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए तथा तैयारियों को भी बढ़ाया जाए। आपदा प्रबंधन के लिए स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, स्लाइड शो, डाकुमेंट्री, पोस्टर-बैनर तथा विषय विशेषज्ञों आदि के व्याख्यान के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाए। जो क्षेत्र आपदा की दृष्टि से संवेदनशील हैं उस क्षेत्र की आपदा संबंधित सभी सूचनाओं का एकत्रीकरण आपदापूर्व ही किया जाना चाहिए ताकि सूचना के साधनों के माध्यम तथा अन्य प्रचार-प्रसार माध्यम द्वारा जनमानस को इन तथ्यों से अवगत कराकर सतर्क कराया जाए।
५.राहत और बचावतंत्र को मजबूत बनाया जाए। इस कार्य के लिए भूतपूर्व सैनिकों, स्काउट एंड गाइड, एन.सी.सी. कैडेट, एन. एस.एस. के छात्रों, युवाओं तथा महिलाओं को भी सम्मिलित करना चाहिए। इन्हें आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण देकर कुशल बनाया जा सकता है। इन योजनाओं की प्रभाविकता के परीक्षण के लिए बनावटी अभ्यास (मौक ड्रिल) का भी आयोजन करना होगा।
६.सामुदायिक स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना को चलाया जाए। आपदा प्रभावित समुदायों को खतरों में कमी लाने के लिए तथा उनका सामना करने के लिए समर्थ और सशक्त बनाना होगा। इन योजनाओं में उसी क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों, स्थानीय समुदायों तथा वनवासियों को जोड़ा जाए, क्योंकि स्थानीय निवासियों तथा वनवासियों को स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों का विस्तृत ज्ञान होता है। इन संगठनों को प्रशिक्षण देकर आपदा के समय खोज, राहत और बचाव कार्यों में इनका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
७.नए भवनों का निर्माण कानूनी रूप से भूकंप तकनीकी के आधार पर अनिवार्य किया जाए तथा असुरक्षित भवनों को भूकंपीय रिट्रोफिटिंग तकनीकी से सुरक्षित किया जाए। इसके अतिरिक्त ठेकेदारों, राजमिस्त्रियों को भवन निर्माण की तकनीकी जानकारी देकर प्रशिक्षित किया जा सकता है। भवन स्वामियों को भी मजबूत भवन व सुरक्षित जगहों पर भवन बनाने के लिए प्रेरित किया जाए।
८.आपदा प्रबंधन विभाग के विशेषज्ञों द्वारा आपदाओं का विश्लेषण पूर्व में ही किया जाना चाहिए। यह इस आधार पर होना चाहिए कि किन-किन क्षेत्रों में किस आपदा के कारण कितना प्रभाव पड़ सकता है तथा उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। जोखिम विश्लेषण में यह अनुमान भी लगाया जाना चाहिए कि किस आपदा से कितना जान-माल का नुकसान हो सकता है तथा उस क्षेत्र में उस आपदा से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। कौन-सा क्षेत्र किस आपदा के लिए संवेदनशील है, यह भी देखा जाना चाहिए।
९.संतोषजनक पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्य होने चाहिएँ। एक प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि आपदा के तुरंत बाद आपदाग्रस्त लोगों तक विभिन्न एजेंसियों की तुरंत पहुँच होनी चाहिए। इसके लिए यातायात के वैकल्पिक साधन, प्रभावी, चिकित्सा, दवाइयाँ, भोजन एवं पानी की तुरंत आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि देश के अनेक आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आपदा के समय राहत सामग्री समय पर नहीं पहुँच पाई। पुनर्निर्माण के संदर्भ में गुजरात में भूकंप आपदा के बाद किए गए कार्यों से सीख लेनी चाहिए।
१०.आपदाओं से पीड़ित तथा घायल लोगों के लिए ट्रामा सेंटर खोले जाने चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, राजकीय चिकित्सालयों एवं पैरामेडिकल प्रशिक्षण केंद्रों में आवश्यक दवाईयाँ व सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए।
११.भीषण आपदाओं से निपटने के लिए पारंपरिक ज्ञान को पुनर्जीवित कर तथा उसे तकनीकी रूप देकर प्रयोग किया जाए।
१२.मौसम संबंधी जोखिमों; जैसे-बाढ़, समुद्री तूफान, हिमपात, अतिवृष्टि, शीत लहर, लू आदि के संदर्भ में मौसम विभाग की भविष्यवाणियों को दूरदर्शन व समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित व प्रसारित कर लोगों को सतर्क किया जाए।

संदर्भ

१.नेगी, पी.एस. २००७ 'पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण भूगोल' तृतीय संस्करण, पृ. १६४-१६५ रस्तोगी प्रकाशन, मेरठ।
२.सिन्हा, राजन २००६ 'आपदा प्रबंधन, नई नीति नया प्रयास' योजना, मई २००६, पृ. २५ नई दिल्ली।
३.कुमार, संतोष २००६ 'विकास से जोखिम रहित विकास तक' योजना, जून २००६, पृ. २०, नई दिल्ली।
४.सिन्हा, राजन २००६ 'आपदा प्रबंधन, नई नीति-नया प्रयास' योजना, मई २००६, पृ. २३, नई दिल्ली।
५.गुप्त, मनु एवं चावड़ा, शिवांगी २००६ 'समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन' योजना, जून २००६, पृ. २३-२५, नई दिल्ली।
६.मेनन, एस. विनोद चंद्र २०१२ 'आपदा प्रबंधन की समस्याएँ एवं चुनौतियाँ' योजना, मई २०१२, पृ. ७, नई दिल्ली।

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Books Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- Directory Of Research Journal Indexing
- International Scientific Journal Consortium Scientific
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- DOAJ
- EBSCO
- Crossref DOI
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Review Of Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.ror.isrj.org